प्रेषक:-

अपर शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल,
शिविर कार्यालय,
02-सुभाष रोड, देहरादून ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
हरिद्वार ।

पत्रांक/नियोजन/ 15628-29/2001-2002 दिनांक, 26-9-2001 (27)

विषय:- जनपद हरिद्वार के अवशेषित विकास खण्ड में कतिपय कन्या हाईस्कूलों में सहशिक्षा की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3277/मा०सं०वि०/2001 दिनांक, 24, सितम्बर, 2001 द्वारा जनपद हरिद्वार के निम्नांकित अपेक्षित विकास खण्ड के कन्या उ०मा०विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं को संस्थागत छात्र/छात्राओं के रूप में शिक्षा ग्रहण करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है:-

1:- नेशनल कन्या उ०मा०विद्यालय, रामपुर, भानपुर विकासखण्ड।
2:- हजरतबाबा गरीबशाह साबरी कन्या हाईस्कूल, पीरान-कलियर, बहादराबाद विकास खण्ड ।
3:- लाल ओम प्रकाश ज्ञानदेवी क०इ०का० लालढांग ।
4:- ग्राम राज्य कन्या उ०मा०वि०, सिकन्दरपुर भीतपुर ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन एवं निदेशालय को अवगत करायें ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 27/9

(श्रीमती पुष्पा मानस)
अपर शिक्षा निदेशक,
उत्तरांचल ।

पृ०सं०/नियोजन/ /2001-2002 दिनांकित ।

प्रतिलिपि अनु सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि सम्बन्धित विद्यालयों को सूचनार्थ ।

(श्रीमती पुष्पा मानस)
अपर शिक्षा निदेशक,
उत्तरांचल ।